न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 171/2019
GCMS NO. : 2019/00192

–: वादीगण :–

1. फैनाराम पुत्र घीसाराम
2. हापुराम पुत्र घीसाराम
3. मदनलाल पुत्र घीसाराम सभी जातियान– माली, निवासीगण– जैतारण, बेरा पतालिया, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. सुखीया पत्नी बालुराम
2. दिनेश पुत्र नेमीचन्द
3. परमेश्वर पुत्र नेमीचन्द
4. राजूदेवी पुत्र नेमीचन्द
5. रेखा पुत्री नेमीचन्द
6. सीमादेवी पुत्री नेमीचन्द
7. किरण पुत्री नेमीचन्द
8. पप्पुदेवी पुत्री नेमीचन्द
9. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
10. रामवल्लभ पुत्र भंवरलाल
11. कैलाश पुत्र भंवरलाल
12. सोहनलाल पुत्र पोकरराम
13. रामदेव पुत्र पोकरराम
14. भागीरथ पुत्र पोकरराम
15. सुरेशकुमार पुत्र पोकरराम
16. विनय चौहान पुत्र रामकिशोर
17. हर्षित चौहान पुत्र रामकिशोर
18. रामकिशोर पुत्र चुन्नीलाल
19. दिनेश पुत्र श्यामलाल
20. सुरेश पुत्र श्यामलाल
21. पूजा पुत्री श्यामलाल
22. आरती पुत्री श्यामलाल
23. इन्द्रादेवी पत्नी श्यामलाल
24. बुधाराम पुत्र कानाराम
25. मीठालाल पुत्र कानाराम
26. अमरचन्द पुत्र पूनाराम
27. रतनलाल पुत्र हरीराम सभी जातियान– माली, साकिन–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.
28. [illegible] भूमिधारी राजस्थान [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख [illegible]/08/2019

उपस्थित:–

1. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता वादीगण ।
2. श्री महेन्द्र कुमार गुर्रा, राजेन्द्र बोहरा, चन्दनसिंह गोयल, जगदीश सोलंकी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण ।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 02/09/2021

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा– जैतारण, पटवार हल्का–जैतारण, तहसील–जैतारण जिला–पाली में निम्न खसरा नम्बरान की भूमि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की पुश्तैनी भूमि खसरा नंबर 646 रकबा 05–00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 647 रकबा 05–09 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 648 रकबा 05–04 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 649 रकबा 05–08 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 652 रकबा 05–15 बीघा किस्म चाही सोयम, कुल खसरा 05 कुल रकबा 26–16 बीघा आई हुई है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने बाप दादा के वक्त से अपने–अपने हिस्से में काबिज होकर काश्त करते हैं तथा मौके पर माठे कायम की हुई है। वादपत्र में वर्णित वंशावली अनुसार उपरोक्त वंश वृक्षावली एवं वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार घीसाजी के वारिसान वादीगण उनके कुल भूमि में से 1/4 हिस्से की 6–14 बीघा भूमि आती है जिसका विवरण निम्नानुसार है। खसरा नंबर 646 में से रकबा 05–00 बीघा, खसरा नंबर 649 में से रकबा 0–09 बीघा, खसरा नंबर 652 में से रकबा 01–05 बीघा यानि वादीगण अपने हिस्से पर कुल मिलाकर 6–14 बीघा आती है, जिस पर घीसाजी के वारिसान वादीगण अपने–अपने 1/4 हिस्सा पर मौके पर बिना रोक टोक एवं शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते है। जिसका नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ पेश है तथा नजरी नक्शे में घीसाराम जी के हर हिस्से में आने वाली 6–14 बीघा भूमि का विवरण निम्नानुसार है तथा उक्त भूमि का वादीगण द्वारा निम्नानुसार विभाजन कर रखा है। वादी संख्या 01 फैनाराम पुत्र घीसारामजी के हक हिस्से में आने वाली भूमि खसरा नंबर 646 में से रकबा 1–13 बीघा, खसरा नंबर 646 में से रकबा 1–13 बीघा मदनलालजी के हिस्से की भूमि जो हकतर्क से प्राप्त हुई, खसरा नंबर 649 में से रकबा 0–03 बीघा, खसरा नंबर 649 में से रकबा 0–03 बीघा, खसरा नंबर 652 में से रकबा 0–08 बीघा है। वादी संख्या 02 हापूराम पुत्र घीसारामजी के हक हिस्से में आने वाली भूमि खसरा नंबर 646 में से 1–14 बीघा, खसरा नबर 649 में से 0–03 बीघा, खसरा नंबर 652 में से 0–08 बीघा है। वादी संख्या [illegible]लाल पुत्र घीसारामजी के हक हिस्से में आने वाली भूमि खसर[illegible] बीघा है। उपरोक्त भूमि का नजरी नक्शा जो वादपत्र के सा[illegible] वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावे। पक्षकारान की मौके पर जमीन बंट[illegible]ई है तथा अलग अलग माठे है परन्तु वादीगण का बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा लट्ठा में बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस नहीं हो रखा है न ही नक्शा लटठा में तरमीमशुदा है जबकि मौके पर पक्षकारान ने अपने बाप दादा के वक्त से मनमाना बंटवाड़ा कर रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

है। इस कारण वादीगण अपनी खातेदारी एवं हक हिस्सा की भूमि को बिना बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराये अपनी कृषि भूमि को विकसित नहीं कर सकते। दिनांक 01.08.2019 को वादीगण अपने पुश्तैनी खातेदारी एवं हक हिस्से की भूमि में बिजली कनेक्शन लेकर ट्यूबवेल खुदवाने हेतु अपनी भूमि का नाप चौप करने लगे तो प्रतिवादीगण मौके पर आये व वादीगण को नाप चौप करने से मना कर दिया व ऐलानिया धमकी दी कि हमारे जमीन राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा में तरमीम नहीं है इस कारण वादीगण न तो बिजली कनेक्शन ले सकते है, न ही अपनी भूमि में ट्यूबवेल आदि खुदवा सकते है तब वादीगण ने पटवारी पटवार हल्का जैतारण से अपने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित नकलें प्राप्त की। यदि वादीगण अपनी भूमि को रूपये लगाकर भी विकसित नहीं कर सकते तो अपनी कृषि भूमि में बिना ट्यूबवेल खुदवाये तथा बिना पानी सिचांई किये अच्छी फसल नहीं उगा पायेगें तथा अपनी पैतृक भूमि से कमाई नहीं कर पायेंगे, अगर ऐसा हुआ तो वादीगण को भारी आर्थिक क्षति होती जिसकी क्षति पूर्ति रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए वादीगण अपनी भूमि का बंटवाड़ा बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के कराना चाहते हैं। इसलिए उक्त वादपत्र बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है। बिनाय दावा दिनांक 01.08.2019 को पैदा हुआ जब वादीगण अपनी कृषि भूमि पर बिजली कनेक्शन लेने लगे तथा मौके पर अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का नाप चौप कर उसमें ट्यूबवेल खुदवाना शुरू किया तथा वादीगण ने प्रतिवादीगण को ऐसा नहीं करने दिया। जो श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 10, 12 से 28 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 11 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो सामिल मिसल है।

जवाबदावा प्रतिवादीया सुखीया उर्फ सुखीदेवी की ओर से निम्नलिखित है कि वादपत्र के पद संख्या 01 का जवाब है कि इस पद में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा जैतारण में अवश्य स्थित है, परन्तु वादीगण की वंश वृशावली बाबत प्रतिवादीया को पूरी जानकारी नहीं होने से इंकार है। वादपत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि इस पद में वादीगण ने किस खसरे में उनकी कितनी भूमि आती है का विवरण अंकित किया है। तथा नजरी नक्शा पेश किया है उस सम्बन्ध में लेख है कि उसकी जानकारी प्रतिवादीया सुखिया को नहीं है। वादी फैनाराम, हापूराम व मदनलाल ने इस पद में अपनी-अपनी कृषि भूमि का वर्गीकरण करके अंकित [illegible] इसकी जानकारी भी प्रतिवादीया को नहीं है यह अवश्य है [illegible] की कुल 26 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीया सुखिया का 1/8 [illegible] आती है तथा कुल भूमि में उसकी 03 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि आती है जिस पर प्रतिवादीया का कब्जा काश्त है इसके अलावा प्रतिवादीया सुखिया के हिस्से की 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि मौके पर कम है जो अन्य सहखातेदारों ने खाई व माठ बनाते समय अपनी भूमियों में मिला ली है। जो राजस्व रेकर्ड के अनुसार अपनी पूरी कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भूमि प्रतिवादीया प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। वादपत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि यह सही है कि पक्षकारान की कृषि भूमि बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के मौके पर नाप करके पत्थर गढी कर मुड्डे रोप कर कानूनी बंटवाड़ा नहीं हो रखा है मनमाना बंटवाड़ा का कानूनी महत्व नहीं होता है प्रतिवादीया स्वयं भी चाहती है व न्यायालय से निवेदन करती है कि उसकी 1/8 हिस्से की 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के नाप कर कुल भूमि में से अलग बांटकर पत्थरगढी कर मुडडे रोप कर दी जावें एवं नक्शा लठ्ठा में प्रतिवादीया की भूमि तरमीम करके अलग खाता कायम कर दिया जावें। ताकि भविष्य में भूमि बाबत कोई विवाद शेष नहीं रहे। वादपत्र के पद संख्या 04 व 05 का जवाब है कि दिनांक 01.08.2019 को वादीगण ने कृषि भूमि में विद्युत कनेक्शन लेने व ट्यूबवेल खुदवाने का कहा है और प्रतिवादीगण ने मना किया तथा इसकी जानकारी प्रतिवादीया सुखिया को नहीं है। वादीगण की प्रतिवादीया से कृषि भूमि व कनेक्शन आदि बाबत कोई बात नहीं हुई। अन्य प्रतिवादीगण से वादीगण की कोई चर्चा हुई हो तो प्रतिवादी को उसका ज्ञान नहीं है बाद कानूनी बंटवाड़ा कोई भी वादीगण प्रतिवादीगण अपनी भूमि में विद्युत सम्बन्ध लेने ट्यूबवेल खुदवाने व भूमि को विकसित कराने के लिये स्वतंत्र है निर्धारित भूमि के लिये वादीगण को कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो सकती है न होगी। वादपत्र के पद संख्या 06 का जवाब है कि वादीगण को प्रतिवीदया सुखिया के विरुद्ध कोई बिनाय दावा उत्पन्न नहीं होता है। वादपत्र के पद संख्या 07 व 08 का जवाब है कि यह पद कानूनी होने से न्यायालय द्वारा विचारणीय है। वादपत्र के पद संख्या 09 का जवाब है कि अनुतोष के इस पद में उप पद अ, ब, स, द में चाहा गया अनुतोष जिस तरह से वादीगण ने चाहा है वह कानूनन प्रदान नहीं किया जा सकता। वादीगण के द्वारा विभिन्न खसरों में अपनी भूमि लिखने व नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार ही वादीगण की भूमि का बंटवाड़ा कर दिया जावें यह कानूनन कभी नहीं हो सकता। कानूनी बंटवाड़ा के लिए जो राजस्व एजेंसी के बंटवाड़ा हेतु नियुक्त है नायब तहसीलदार भू अभिलेख निरीक्षक पटवारी हल्का को ही है। सभी वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में आने वाली वास्तविक कृषि भूमि को बंटवाड़ा करके मौके पर पत्थर गढी कर मुडडे रोपकर अलग खाता कायम करके बांट कर देने का कानूनी प्रावधान है जो न्यायालय के निर्णय के अनुसार बंटवाड़ा किया जाता है और प्रतिवादीया सुखिया के हिस्से की कुल भूमि में से 1/8 हिस्से की 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि को कानूनी बंटवाड़ा के जरिये अलग बांट कर नक्शा में तरमीम करके अलग खाता कायम करने का प्रतिवादीया अनुरोध करती है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि माफिक जवाब दावा [illegible]

जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 11 कैलाश पुत्र भंवरलाल [illegible] और [illegible] पेश है कि दावा का पद संख्या 01 का जवाब है कि [illegible] जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली में निम्न खरा नंबर 646, 647, 648, 649, 652 कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई हैं लेकिन वादीगण ने अपने वाद के साथ वृक्षावली गलत बनाकर पेश की हैं। वादीगण ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा भूमि में 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हिस्सा होना बताया जबकि वादीगण का 1/8 हिस्सा आता है। उक्त तथ्य के अलावा पूरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। दावा का पद संख्या 02 का जवाब है कि वादीगण ने अपने वाद के साथ वंश वृक्षावली एवं वादपत्र के साथ नजरी नक्शा गलत बनाकर पेश किया है एवं खसरा नंबर 646 रकबा 5-00 बीघा की सम्पूर्ण भूमि अपना होना बताया जो सरासर गलत हैं। एवं खसरा नंबर 649 में से केवल 09 बिस्वा भूमि व खसरा नंबर 652 में से 01-05 बिस्वा भूमि होना बताया जो सरासर गलत है एवं वादीगण ने सम्पूर्ण भूमि में 06-14 बिस्वा भूमि नहीं आती है। वादीगण ने वाद बंटवाड़ा किया हैं। बंटवाड़ा के आधार पर किसी खातेदार का नाम नहीं हटाया जा सकता हैं। एवं वादीगण ने अपने वादपत्र के साथ गलत नक्शा बनाकर पेश किया है क्योंकि वादीगण ने अपने नक्शे में रास्ता को नहीं दर्शाया गया है। वादीगण ने अपने वाद में विभाजन होना बताया गया, जो सरासर गलत है एवं बनावटी है। वादीगण ने अपनी सुविधा के लिए व प्रतिवादीगण के नुक्सान पहुचाने के लिए गलत नक्शा पेश किया हैं। क्योंकि बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा में प्रत्येक खसरा नंबर में प्रत्येक हिस्सेदार को जमीन राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से अनुसार आती हैं। वादीगण ने अपनी मनमर्जी से खसरा नंबर 646 रकबा 05 बीघा भूमि अपनी होना बताया जरूर है अगर जमीन मौके पर अलग अलग विभाजन हो रखी है तो सभी हिस्सेदार का किसी जगह कब्जा काश्त उसी अनुरूप नजरी नक्शा बनाकर पेश कर सकते थे। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार बंटवाड़ा कानूनन नहीं किया जा सकता है इसलिए वादीगण का वाद खारिज योग्य है। जवाब दावा के पद संख्या 03 का जवाब है कि वादपत्र के पद संख्या 03 में लिखा कि उक्त आराजी का बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस नहीं हो रखा है जबकि वादीगण ने अपने वादपत्र में खसरा नंबर 646 की सम्पूर्ण भूमि अपने हिस्से में होना बताया जो सरासर गलत है यदि अपने बाप दादा के वक्त से बंटवाड़ा होता तो वक्त सेटलमेन्ट में खसरा नंबर 646 में वादीगण के पूर्वजों का ही नाम दर्ज होता। वादीगण ने दावा बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस से करवाने का पेश किया उसकी आड़ में वादीगण खसरा नंबर 646 की घोषणा प्राप्त कर रहा हैं। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 646 से हटाना चाहता है यानि वादीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है इसलिए वादीगण का वाद खारिज योग्य है। दावा के पद संख्या 04 का जवाब है कि वादीगण को उक्त आराजी का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा करवाये बिना ट्यूबवेल नहीं [illegible] बिजली कनेक्शन लेने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण [illegible] दिनांक 01.08. 2019 को बंटवाड़ा करने का नहीं कहा वादीगण अपने [illegible] केवल मात्र ट्यूबवेल खुदवाने का लिखा है कि जबकि जैतारण सरहद में नलकूप खुदवाने के लिए श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकृति लेने के बाद खुदाही की [illegible] सकती है। वादीगण येनकेन प्रकार से उपजाऊ जमीन पर अपना कब्जा होना बताकर विधि विरुद्ध तरीके से बंटवाड़ा बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस से करवाने के अधिकारी नहीं है। दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

है पद संख्या 05 गलत होने से अस्वीकार है कि उपरोक्त शामलाती आराजी है इसलिए प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर अधिकार रहता है। इसलिए वादीगण को नुक्शान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दावा का पद संख्या 06 बिनाय दावा गलत होने से अस्वीकार है वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का बिनाय दावा दिनांक 01.08.2019 को उत्पन्न नहीं होता हैं। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि में ट्यूबवेल खुदवाना शुरू किया जबकि सरहद जैतारण डार्कजोन में है इसलिए वादीगण नई ट्यूबवेल खुदवाने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण ने केवल मात्र दावा करने की गरज से कपोल काल्पनिक तथ्य अंकित किये हैं। दावा का पद संख्या 07 का जवाब है कि बंटवाड़ा का दावा आवश्यक प्रकृति का नहीं है इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 28 को 02 माह का नोटिस देकर ही वाद प्रस्तुत कर सकते थे। वादीगण ने आवश्यक प्रकृति का कोई कारण अपने वाद में उल्लेख नहीं किया है। दावा के पद संख्या 09 अनुतोष बाबत गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि वादीगण ने खसरा नंबर 646 की सम्पूर्ण भूमि अपनी होना बताया एवं वाद पत्र में 1/4 हिस्सा होना बताया जबकि वादीगण का 1/8 हिस्सा आता हैं। वादीगण ने अनुतोष में लिखा कि बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा किया जावे लेकिन वादीगण ने खसरा नंबर 646 की सम्पूर्ण भूमि अपने हिस्से में रखने का लिखा हैं। एवं वादीगण ने वादपत्र के साथ गलत नक्शा बनाकर पेश किया इसलिए वादीगण का वाद काबिल खारिज के है प्रतिवादीगण वादपत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है इसलिए वादीगण सह खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार कि स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त के कानूनन अधिकारी नहीं है इसलिए वादीगण का वाद खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें। तनकीयात कायम की गई।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी फैनाराम का साक्ष्य शपथपत्र पीडब्ल्यू-1, गवाह गणपतलाल पीडब्यलू-2 पेश किया, प्रदर्श लगाये गये। जिरह पूर्ण की गई सामिल मिसल है। वकील वादी अन्य शहादत पेश नहीं करना चाहते है। रिर्बटल का अधिकार सुरक्षित रखते हुए शहादत वादी बन्द की जाती है। प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाते है। बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा मूल वादपत्र वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़े एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया था जिस पर विवाद्यक विरचन के उपरांत वादीगण के वादपत्र के संशोधन [illegible] प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हाजा के आदेशानुसार संशोधित [illegible] एवं तत्पश्चात् संशोधित वादपत्र के अनुरूप खातेदारी अधिकारों की [illegible] बाबत् अतिरिक्त विवाद्यक विरचित किया गया। प्रकरण के सम्यक् विरचन एवं वि[illegible]यन् के लिये घोषणा बाबत् विरचित उपर्युक्त अतिरिक्त विवाद्यक का सर्वप्रथम विवेचन एवं निर्णयन् करते हुये तत्पश्चात् क्रमशः प्रकरण का विवाद्यकवार पृथक पृथक विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी में गलत दर्ज 1/6 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्से तक के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है ?.....

जिम्मे वादीगण

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 ग्राम जैतारण प्रदर्श-3 में वादीगण का हिस्सा 1/6 अंकित हैं। वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी 26-16 बीघा में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 13-08 बीघा आरम्भ में वादीगण के पूर्वज लिखमाराम जी के नाम दर्ज था, लिखमाराम के दो संतान हुई, अणदा जी व सुखजी जिनका हिस्सा 1/4-1/4 था। अणदा जी लाऔलाद फौत हुये, जिन्होंने सुख जी के पुत्र जोधा जी को गोद लिया था। सुख जी के जोधा को गोद देने के उपरांत दो संतान शेष रही गुमना जी व कुन जी। इस प्रकार जोधा के हिस्से अणदा जी का सम्पूर्ण 1/4 भाग तथा गुमना जी व कुन जी के सुख जी के 1/4 का 1/2 हिस्स अर्थात् 1/8-1/8 हिस्सा हुआ। जोधा के दो संतान घीसा व गणेश हुई, जिनमें से गणेश को गुमना जी ने गोद ले लिया। इस प्रकार घीसा के हिस्से जोधा जी के सम्पूर्ण 1/4 भाग भूमि आई। वादीगण घीसा जी के वारिसान हैं अतः वादग्रस्त आराजी में वादीगण का हिस्सा कानूनन 1/4 हिस्सा आता है। जबकि भू. अभिलेख त्रुटिपूर्ण रुप से 1/6 हिस्सा अंकित है। खेवट खतौनी मौजा जैतारण परगना जैतारण रियासत जोधपुर मुल्क मारवाड़ प्रदर्श-5 में निम्नानुसार अंकन हैं ***"कुना न मगना बेटो सुखा रा न जोधा बेटो अणदा रो जात रा माली बासी गांव रा बापीदारान् बहिस्सा जैल"*** इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के भू-प्रबन्ध से पूर्व जोधपुर रियासत के भू. अभिलेख में जोधा को अणदा का पुत्र तथा कुना व मगना को सुखा का पुत्र अंकित किया गया है। प्रदर्श-6 खतौनी मौजा कस्बा जैतारण परगना जैतारण जोधपुर गवर्नमेन्ट सम्वत् 1994 में निम्नानुसार अंकन है:- ***"गणेश बेटो मगना रो न छग्गो बेटो कुना रो न घीसीयो बेटो जोधा रो"*** इस प्रकार स्पष्ट है कि भू-अभिलेख में घीसा को जोधा का पुत्र तथा गणेश को मगना व छग्गा को कुना का पुत्र अंकित किया गया। प्रदर्श-4 सत्यापित प्रति राव की बही राव श्री गोपाल पुत्र हरिराम जी मेड़ता के अनुसार लिखमाराम के दो पुत्र अणदा व सुखा हुये, सुखा के तीन संतान हुये, जोधा, मगना व कुना हुये। जोधा अणदा के खोळे(गोद), चला गया तथा जोधा का पुत्र गणेश मगना के खोळे(गोद) चला गया। हालांकि राव की बही की प्रतिलिपि को प्राथमिक साक्ष्य के रुप में स्वीकार नहीं किया जा सकता परन्तु प्र[illegible] जोधपुर रियासत के समय की भू-अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां है त[illegible] राव [illegible] बही की प्रविष्टियों की पुष्टि इन दस्तावेजों से होती है। अ[illegible] प्रविष्टियों को विश्वसनीय रुप से स्वीकार किया जा सकता है। जमाबन्दी [illegible]दोबस्त सम्वत् 2011-2030 ग्राम जैतारण प्रदर्श-7 में गणेश वल्द गुमना, छग्गा वल्द कुना, व घीसीया वल्द जोधा का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा अंकित है। वंशावली एवं भू-प्रबन्ध पूर्व के अभिलेख प्रदर्श-5 व प्रदर्श-6 से यह स्पष्ट है कि लिखमा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा आता है। अतः भू-प्रबन्ध जमाबन्दी में 1/2 हिस्सा सही अंकित है, परन्तु लिखमा के पुत्र अणदा का 1/2 का 1/2 अर्थात् 1/4 तथा लिखमा के द्वितीय पुत्र सुखा का 1/2 का 1/2 अर्थात् 1/4 तथा अणदा के पुत्र जोधा जिसे कि अणदा द्वारा गोद लिया गया था के वारिसान् घीसा वल्द जोधा का कानूनन् 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था तथा सुखा के वारिसान गुमना व कुना के वारिसान क्रमशः गणेश वल्द गुमना तथा छगा वल्द कुना के नाम 1/4 का 1/2 अर्थात् 1/8-1/8 हिस्सा कानूनन दर्ज किया जाना चाहिये था। इस प्रकार खतौनी बन्दोबस्त में वादग्रस्त आराजी के खातेदारान् एवं उनके हिस्से की प्रविष्टियों के दौरान बन्दोबस्त पूर्व के भू-अभिलेख की प्रविष्टियों का अनुपालन नहीं किया जाकर त्रुटि कारित कि गई तथा यह त्रुटि आगे की समस्त जमाबन्दीयों में पुनरावृर्ति होकर वर्तमान जमाबन्दी में भी बद्दस्तुर जारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वादी PW-1-वादी फैनाराम पुत्र घीसाराम, PW-2 -गणपतलाल पुत्र भंवरलाल, PW-3 -वादी फैनाराम पुत्र घीसाराम द्वारा वादपत्र के कथनों का समर्थन किया। प्रदर्श-3 जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 ग्राम जैतारण की प्रविष्टियों से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में से मदन पुत्र घीसा द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा फैनाराम पुत्र घीसाराम के पक्ष में हकतर्क कर दिया गया जिसका नामान्तरण संख्या 4384 दिनांक 29.03.2019 द्वारा अमल दरामद किया गया। इस प्रकार मदन का सम्पूर्ण हिस्सा फैनाराम के पक्ष हकतर्क होनें से घीसा के हिस्से में से 2/3 हिस्सा वादी फैनाराम तथा 1/3 हिस्सा वादी हापु का शेष रहता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि वादीगण के पिता घीसा का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा कानूनन आता है जबकि भू-अभिलेख में त्रुटिपूर्ण रूप से 1/6 हिस्सा दर्ज है, जिसे शुद्ध करते हुये 1/6 के स्थान पर 1/4 दर्ज करना तथा घीसा के वारिसान जो कि वादीगण फैनाराम, हापुराम एवं मदन है में से मदन द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा फैनाराम के पक्ष में हकतर्क कर देनें से वादी फैनाराम को पिता घीसा के 1/4 हिस्से के 2/3 हिस्सा अर्थात् 1/6 हिस्से तथा वादी हापु राम को पिता घीसा के 1/4 हिस्से के 1/3 हिस्सा अर्थात् 1/12 हिस्से तक के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। वादी का वादग्रस्त आराजी में वर्तमान में त्रुटिपूर्ण दर्ज 1/6 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने से गणेश पुत्र गुमना तथा छगाना पुत्र कुना के वारिसान तथा इनके द्वारा कि गये हस्तान्तरण उपरांत सभी का कुल हिस्सा [illegible] 1/6-1/6 के स्थान पर 1/8-1/8 हिस्सा होगा, जिससे सोहनलाल, [illegible] पि0 पोकरराम का हिस्सा 1/40, विनय पुत्र रामकिशोर का हिस्सा [illegible] पुत्र रामकिशोर 1/40, रामकिशोर पुत्र चुन्नीलाल का 73/3600, विक[illegible] आयुष, पि0 रामप्रकाश का 2/3600, तथा ओमप्रकाश, रामवल्लभ, कैलाश पि0 भंवरलाल, दिनेश, परमेश्वर पि0 नेमीचन्द, राजुदेवी, रेखादेवी, सीमादेवी, किरण, पि0 नेमीचन्द पप्पूदेवी पत्नी नेमीचन्द का हिस्सा 1/15 होगा, इसी प्रकार बुधाराम, मिठालाल, पि0

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

फैनाराम, सुरेश, दिनेश, पूजा, आरती पि0 श्यामलाल, इन्द्रादेवी पत्नी श्यामलाल का हिस्सा 1/48 तथा संतोष पत्नी रामप्रकाश का हिस्सा 1/24 होगा तथा शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह विवाद्यक भलीभांति साबित होनें से वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

2. आया वादीगण का वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि पर 1/4 हिस्से की 6–14 बीघा भूमि पर एवं वादपत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णितानुसार मौके पर कब्जा काश्त है जिसका वादीगण बंटवाड़ा बाई मिट्स एवं बाउण्डस के माफिक इस्तदुआ के कराने के अधिकारी हैं ?.......

जिम्मे वादीगण

यह विवाद्यक साबित करनें के जिम्मेदारी वादीगण की है। पूर्व निर्णीत विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी में कानूनन 1/4 हिस्सा निहित है जबकि भू–अभिलेख में त्रुटिपूर्ण रूप से 1/6 हिस्सा अंकित है जिसे शुद्ध किया जाकर वादीगण को 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकारों के घोषणा का अधिकारी पाया गया है। भू–अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का हिस्सा भी त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित है कि वादी संख्या 03 मदनलाल पुत्र घीसाराम द्वारा अपना खातेदारी हक–हिस्सों का वादी संख्या 01 फैनाराम के पक्ष में हकतर्क किया जा चुका है। अतः विवाद्यक संख्या 1 के निर्णयानुसार भू–अभिलेख में सहखातेदारान् के हक हिस्सों कि शुद्ध प्रविष्टियां किये जाने के उपरांत वादीगण बाई मिट्स एवं बाउण्डस के खाता विभाजन करवाने कें कानूनन अधिकारी है। अतः यह विवाद्यक भलीभांति साबित होनें से वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

3. आया राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 अपनी कृषि भूमि प्राप्त करनें के अधिकारी है ?......

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01

यह विवाद्यक साबित करनें के जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 01 की थी। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी नहीं करवाई गई। फिर भी साक्ष्य वादी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 को वादग्रस्त भूमि में से अपना हिस्सा खतौनी बन्दोबस्त ग्राम जैतारण सम्वत् 2011–2030 प्रदर्श–7 के अंकनानुसार वादग्रस्त आराजी 1/2 हिस्से में दर्ज बतौर सहखातेदार पुनिया, हिरीया पि0 रावत की वंशावली से हस्तान्तरित हुआ है जिनसे वादीगण ने कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत् 2073–2076 ग्राम जैतारण के अनुसार प्रतिवादीया सुखिया देवी पत्नी बालूराम का [illegible] दी गई हिस्सा 1/8 अंकित है जिससे किसी भी पक्षकार/सहखातेदार द्वारा [illegible] की है लिहाजा प्रतिवादीया मुताबिक भू–अभिलेख अपने हक–हिस्से [illegible] संख्या 01 अधिकारी है। अतः यह विवाद्यक भलीभांति साबित [illegible] सुखीया देवी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

4. आया वादपत्र व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित हिस्साकसी गलत है ?....

प्रतिवादी संख्या 11

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी संख्या 11 कैलाश पुत्र भंवरलाल की थी। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी नहीं करवाई गई, तथा न ही अपने जवाबदावा के समर्थन में कोई दस्तावेज बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये। विवाद्यक संख्या 01 व 02 वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित होनें से निर्णित किये जा चुके है, साथ ही सहखातेदारी भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के किया जाना हैं। अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित नहीं कर पाने से प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

5. अनुतोष – उपर्युक्त विवाद्यक संख्या 1 से 4 को भली भांति विवेचन उपरांत निर्णित किया जा चुका है तथा अन्य कोई अनुतोष दिया जाना शेष नहीं हैं। अतः यह विवाद्यक इसी मुताबिक निर्णित किया जाता है।

उपर्युक्त विवाद्यक अनुसार पृथक पृथक विवेचन एवं निर्णयन् के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वाद वादी बखूबी साबित होता है। अतः वादग्रस्त आराजी में वादी मदनलाल पुत्र घीसाराम द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा फैनाराम पुत्र घीसाराम के पक्ष में हकतर्क कर दिये जाने से फैनाराम पुत्र घीसाराम को 1/6 हिस्से तथा वादी हापुराम पुत्र घीसाराम को 1/12 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा अन्य प्रविष्टियों का यथावत रखते हुये भू-अभिलेख में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज अधोलिखित सहखातेदारान् का निम्नानुसार शुद्ध हिस्सा- सोहनलाल, रामदेव, भागीरथ, सुरेश कुमार पि0 पोकरराम का हिस्सा 1/40, विनय पुत्र रामकिशोर का हिस्सा 2/40, हर्षित पुत्र रामकिशोर 1/40, रामकिशोर पुत्र चुन्नीलाल का 73/3600, विक्रम, आयुष, पि0 रामप्रकाश का 2/3600, तथा ओमप्रकाश, रामवल्लभ, कैलाश पि0 भंवरलाल, दिनेश, परमेश्वर पि0 नेमीचन्द, राजुदेवी, रेखादेवी, सीमादेवी, किरण, पि0 नेमीचन्द पप्पूदेवी पत्नी नेमीचन्द का हिस्सा 1/15 होगा, इसी प्रकार बुधाराम, मिठालाल, पि0 कानाराम, सुरेश, दिनेश, पूजा, आरती पि0 श्यामलाल, इन्द्रादेवी पत्नी श्यामलाल का हिस्सा 1/48 तथा संतोष पत्नी रामप्रकाश का हिस्सा 1/24 दर्ज करते हुये अद्यतन भू-अभिलेख के अनुरूप वादीगण का सहखातेदारान् के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के खाता विभाजन किया जाना तथा इसी अनुरूप वादपत्र को प्राथमिक डिक्री किया जाना विधि एवं उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा- जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 646 रकबा 05-00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 647 रकबा 05-09 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 648 रकबा 05-04 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 649 रकबा 05-08 बीघा कि[illegible] सोयम, खसरा नंबर 652 रकबा 05-15 बीघा किस्म चाही [illegible] रकबा 26-16 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि [illegible] मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान [illegible]ग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/383 दिनांक 15.04.2021 द्वारा आदेशित किया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/2628 दिनांक 02.08.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– सरहद मौजा– जैतारण पटवार हल्का– जैतारण तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज0) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 646 रकबा 05–00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 647 रकबा 05–09 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 648 रकबा 05–04 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 649 रकबा 05–08 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 652 रकबा 05–15 बीघा किस्म चाही सोयम, कुल खसरा 05 कुल रकबा 26–16 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म
1	फैनाराम पुत्र घीसाराम कौम– माली, सा0 देह खातेदार।	646	1-13	चा.सो.
		646/2	1-13	चा.सो.
		649/1	0-03	चा.सो.
		649/3	0-03	चा.सो.
		652/1	0-09	चा.सो.
		652/2	0-08	चा.सो.
		योग 06	04-09	
2	हापूराम पुत्र घीसाराम कौम– माली सा. देह खातेदार	646/1	1-14	चा.सो.
		649/2	[illegible]	चा.सो.
		652/3	[illegible]	चा.सो.
		योग 03	02[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अमरचंद पुत्र पुनाराम हि. 1/3, सुखीया देवी पत्नी बालूराम हि. 1/6, रतनलाल पुत्र हरीराम हि. 1/6, आयुष पुत्र रामप्रकाश हि. 1/2711, आरती पुत्री श्यामलाल हि. 1/542, इन्द्रादेवी पत्नी श्यामलाल हि. 1/542, ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल हि. 1/45, कैलाश पुत्र भंवरलाल हि. 1/45, दिनेश पुत्र नेमीचन्द हि. 1/90, दिनेश पुत्र श्यामलाल हि. 1/542, पूजा पुत्री श्यामलाल हि. 1/542, परमेश्वर पुत्र नेमीचन्द हि. 1/90, बुद्धाराम पुत्र कानाराम हि. 1/108, भागीरथ पुत्र पोकरराम हि. 1/120, मीठालाल पुत्र कानाराम हि. 1/108, रामकिशोर पुत्र चुन्नीलाल हि. 100/3714, रामदेव पुत्र पोकरराम हि. 1/120, रामवल्लभ पुत्र भंवरलाल हि. 1/45, विक्रम पुत्र रामप्रकाश हि. 1/2711, विनय पुत्र रामकिशोर हि. 1/15, संतोष पत्नी रामप्रकाश हि. 1/18, सुरेश पुत्र श्यामलाल हि. 1/542, सुरेश कुमार पुत्र पोकरराम हि. 1/120, सोहनलाल पुत्र पोकरराम हि. 1/120, हर्षित चौहान पुत्र रामकिशोर हि. 1/30, कौम- माली सा. देह खातेदार।	647	5-09	चा.सो.
	648	5-04	चा.सो.
	649	4-19	चा.सो.
	652	4-10	चा.सो.
	योग 04	20-02	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 02/09/2021 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. फैनाराम पुत्र घीसाराम
2. हापुराम पुत्र घीसाराम
3. मदनलाल पुत्र घीसाराम सभी जातियान- माली, निवासीगण- जैतारण, बेरा पतालिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.

प्रतिवादीगण:

1. सुखीया पत्नी बालुराम
2. दिनेश पुत्र नेमीचन्द
3. परमेश्वर पुत्र नेमीचन्द
4. राजूदेवी पुत्र नेमीचन्द
5. रेखा पुत्री नेमीचन्द
6. सीमादेवी पुत्री नेमीचन्द
7. किरण पुत्री नेमीचन्द
8. पप्पुदेवी पुत्री नेमीचन्द
9. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
10. रामवल्लभ पुत्र भंवरलाल
11. कैलाश पुत्र भंवरलाल
12. सोहनलाल पुत्र पोकरराम
13. रामदेव पुत्र पोकरराम
14. भागीरथ पुत्र पोकरराम
15. सुरेशकुमार पुत्र पोकरराम
16. विनय चौहान पुत्र रामकिशोर
17. हर्षित चौहान पुत्र रामकिशोर
18. रामकिशोर पुत्र चुन्नीलाल
19. दिनेश पुत्र श्यामलाल
20. सुरेश पुत्र श्यामलाल
21. पूजा पुत्री श्यामलाल
22. आरती पुत्री श्यामलाल
23. इन्द्रादेवी पत्नी श्यामलाल
24. बुधाराम पुत्र कानाराम
25. मीठलाल पुत्र कानाराम
26. अमरचन्द पुत्र पूनाराम
27. रतनलाल पुत्र हरीराम सभी जातियान- माली, साकिन-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.
28. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0: 171/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री महेन्द्र कुमार गुर्रा, श्री राजेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- सरहद मौजा- जैतारण पटवार हल्का- जैतारण तहसील- जैतारण जिला- पाली (राज0) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 646 रकबा 05-00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 647 रकबा 05-09 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 648 रकबा 05-04 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 649 रकबा

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

05-08 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 652 रकबा 05-15 बीघा किस्म चाही सोयम, कुल खसरा 05 कुल रकबा 26-16 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म
1	फैनाराम पुत्र घीसाराम कौम– माली, सा0 देह खातेदार।	646	1-13	चा.सो.
		646/2	1-13	चा.सो.
		649/1	0-03	चा.सो.
		649/3	0-03	चा.सो.
		652/1	0-09	चा.सो.
		652/2	0-08	चा.सो.
		योग 06	04-09	
2	हापूराम पुत्र [illegible] कौम– माली सा. देह खातेदार।	646/1	1-14	चा.सो.
		649/2	0-03	चा.सो.
		652/3	0-08	चा.सो.
		योग 03	02-05	
3	अमरचंद पुत्र पुनाराम हि. [illegible] सुखीया देवी पत्नी बालूराम हि. 1/6, रतनलाल पुत्र हरीराम हि. 1/6, आयुष पुत्र रामप्रकाश हि. 1/2711, आरती पुत्री श्यामलाल हि. 1/542, इन्द्रादेवी पत्नी श्यामलाल हि. 1/542, ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल हि. 1/45, कैलाश पुत्र भंवरलाल हि. 1/45, दिनेश पुत्र नेमीचन्द हि. 1/90, दिनेश पुत्र श्यामलाल हि. 1/542, पूजा पुत्री श्यामलाल हि. 1/542, परमेश्वर पुत्र नेमीचन्द हि. 1/90, बुद्धाराम पुत्र कानाराम हि. 1/108, भागीरथ पुत्र पोकरराम हि. 1/120, मीठालाल पुत्र कानाराम हि. 1/108, रामकिशोर पुत्र चुन्नीलाल हि. 100/3714, रामदेव पुत्र पोकरराम हि. 1/120, रामवल्लभ पुत्र भंवरलाल हि. 1/45, विक्रम पुत्र रामप्रकाश हि. 1/2711, विनय पुत्र रामकिशोर हि. 1/15, संतोष पत्नी रामप्रकाश हि. 1/18, सुरेश पुत्र श्यामलाल हि. 1/542, सुरेश कुमार पुत्र पोकरराम हि. 1/120, सोहनलाल पुत्र पोकरराम हि. 1/120, हर्षित चौहान पुत्र रामकिशोर हि. 1/30, कौम– माली सा. देह खातेदार।	647	5-09	चा.सो.
		648	5-04	चा.सो.
		649	4-19	चा.सो.
		652	4-10	चा.सो.
		योग 04	**20-02**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 02/09/2021 को जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:39 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	11 – 00	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	11 –		फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	15 – 00		मिजानः–	11 – 00	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।